

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 991 / 2016 / जयपुर.

मैसर्स आनन्द एन्टरप्राइजेज,
111ए, तनेजा ब्लॉक, आदर्श नगर, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-II, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2225 / 2016 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-II, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आनन्द एन्टरप्राइजेज,
111ए, तनेजा ब्लॉक, आदर्श नगर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21 / 12 / 2017

निर्णय

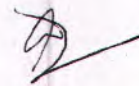
1. उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 337 / अपील्स-I / आरवीएटी / ए / जयपुर / 2015-16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2014-15 (14.07.2014 से 31.12.2014) का राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55, 61 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की है, जबकि धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 991 / 2016 व शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 2225 / 2016 प्रस्तुत की गयी है।

2. ये दोनों अपीलें एक ही आदेश से सम्बन्धित होने तथा दोनों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाती है।

लगातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण विभागीय दल द्वारा दिनांक 24.12.2014 को किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 14.07.2014 से 31.12.2014 के दौरान "बोरोलीन एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम" का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-14 दिनांक 14.07.2014 को वेट अधिनियम की अनुसूची-V में किये गये संशोधन की प्रविष्टि संख्या 67(iv) - Face creams and body creams, face lotions and body lotions, face packs, cleansing liquids and moisturizers including their medicated and antiseptic preparations whether allopathic, ayurvedic, homeopathic or unani." के अनुसार 14 प्रतिशत की दर देयता निर्धारित की गयी है। उक्त अधिसूचना के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2014-15 (14.07.2014 से 31.12.2014 तक) का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.08.2015 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा बिक्रीत "बोरोलीन एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम" को उक्त अधिसूचना से आच्छादित मानते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रुपये 29,99,549/-, धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 2,99,953/- एवं धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 59,99,098/- कुल रुपये 92,98,600/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की गयी, जबकि धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण के सदृश प्रकरण अपील संख्या - 542/2016/जयपुर मैसर्स इमामी लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन वृत्त-द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 28.07.2017 में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने विस्तृत विवेचन करते हुए एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम को ड्रग एवं मेडिसिन की श्रेणी में मानते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 43 के तहत कर योग्य माना गया है। उक्त प्रकरण इस प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज अपास्त किये जाने योग्य हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने एवं राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने तथा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा “बोरोलीन एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम” की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गयी है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 के आलोक में उक्त माल को 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए तदनुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या - 542/2016/जयपुर में निर्णय दिनांक 28.07.2017 पारित करते हुए एंटीसेप्टिक क्रीम को अनुसूची-IV से आच्छादित मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य अवधारित किया गया है। निर्णय दिनांक 28.07.2017 के सुसंगत पैरा को उद्धरित किया जाता है :-

“22. उक्त प्रकरण में विवाद का विषय अपीलार्थी द्वारा निर्मित तीनों विवादित उत्पादों, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस एडवांस मोइश्चराईजिंग लोशन एवं बोरोप्लस आईस प्रिकली हिट पाउडर को वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.7.2014 की प्रविष्टि संख्या 67 में कुछ उत्पादों को सम्मिलित करने के आधार पर 14 प्रतिशत से कर योग्य माना गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा निरन्तर कई वर्षों से अधिनियम, 1994 एवं वेट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 43 के तहत ड्रग एवं मेडिसिन होने से एवं विभाग द्वारा भी लगातार ड्रग एवं मेडिसिन माने जाने से 4/5 प्रतिशत से कर उद्ग्रहण किया गया है। प्रकरण में सर्वप्रथम कर अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 43 को उद्धरित किया जाता है :-

SCHEDULE IV
[See section 4]
Goods Taxable at 4%

S.No.	Description of Goods
43.	Drugs and medicines including vaccines, syringe and dressing medicated ointment produced under drugs licence, light liquid paraffin of IP grade.

23. प्रकरण में सर्वप्रथम विवेचन करना उचित होगा कि अपीलार्थी द्वारा इन वस्तुओं का निर्माण कर जो विक्रय किया गया है वे अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 43 में सम्मिलित होने योग्य है अथवा नहीं।

६



लगातार.....4

24. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः इन्हीं वस्तुओं को इस प्रकरण में दिनांक 14.7.2014 को अनुसूची-V में प्रविष्टि संख्या 67(i) व (iv) के तहत माना है उस पर विचार किया गया। प्रविष्टि संख्या 67(i) व (iv) निम्न प्रकार है :-

SCHEDULE V
Goods Taxable at 14%

S.No.	Description of Goods
67.	(i) Talcum powder, prickly heat powder, sandalwood powder, including their medicated and antiseptic preparations whether allopathic, ayurvedic, homeopathic or unani. (iv) Face cream and body creams, face lotions and body lotions, face packs cleansing liquids and moisturizers including their medicated and antiseptic preparations whether allopathic, ayurvedic homeopathic or unani.

25. उक्त पूरी प्रविष्टि के पठन से यह स्पष्ट प्रतीत है कि प्रविष्टि संख्या 67(i) व (iv) दोनों ही कॉस्मेटिक उत्पाद से सम्बन्धित प्रविष्टि हैं और इनमें टैल्कम पाउडर, प्रिकली हिट पाउडर एवं फेस क्रीम एवं फेस लोशन को सम्मिलित किया है एवं अंकित किया है कि अगर ऐसे उत्पाद अगर मेडिकेटेड एवं एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं तो उन पर 14 प्रतिशत की दर से करदयेता होगी, परन्तु इस प्रविष्टि में ड्रग या मेडिसिन का कोई उल्लेख नहीं है एवं इस पूरी प्रविष्टि में वे उत्पाद सम्मिलित नहीं किये गये हैं जो ड्रग लाईसेंस के तहत ड्रग के रूप में उत्पादित होते हैं। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित एवं मौखिक तर्कों में पाया कि अपीलार्थी द्वारा तीनों वस्तुओं की बिक्री जिस लेबल के तहत की जाती है, उनमें प्रत्येक में जो कि वक्त सुनवाई प्रस्तुत की गई है उनमें ड्रग लाईसेंस के नम्बर एवं उसकी मेडिसिनल उपयोग का पूरा विवरण तथा उसमें प्रयुक्त की जाने वाली आयुर्वेदिक सामग्री का अंकन किया हुआ है।

27. सुनवाई के दौरान कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया था कि आयुर्वेदिक औषधि के लिये ड्रग लाईसेंस दिये जाने से पूर्व उनकी शर्तों की कठोर पालना किये जाने के जो नियम बनाये गये हैं, उनमें भी यह प्रावधान है कि उनमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री आयुर्वेदिक Pharmacopicia के भीतर अंकित होना अनिवार्य है एवं नियम 161 के अनुसार उनके लेबल पर ड्रग लाईसेंस एवं अवयवों का लिखना भी अनिवार्य है एवं इसी आधार पर अपीलार्थी के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित निर्णय इमामी लिमिटेड (2011) ई.एल.टी. 335 एवं माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय में इन उत्पादों को ड्रग लाईसेंस के तहत उत्पादित एवं बिक्रीत होने से इन्हें ड्रग की प्रविष्टि में ही कर योग्य माना गया है। उन्होंने बहस के दौरान यह भी तथ्य बताया कि ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ड्रग्स

के लिये लाईसेंस जारी होते हैं इसी तरह इस एक्ट के तहत कॉस्मेटिक आईटम के लिये भी अलग से कॉस्मेटिक के लाईसेंस जारी होते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.7.2014 में अनुसूची-V की प्रविष्टि संख्या 67 में दिये गये प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं और इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यह अंकित किया गया है कि यदि इन प्रोडक्ट्स में यदि कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी औषधि के तत्व भी शामिल हों तो भी उन्हें कॉस्मेटिक माना जायेगा। इस प्रविष्टि का अर्थ यह है कि इन कॉस्मेटिक आईटम में यदि कुछ गुण मेडीकेशन के भी हों तब भी उन्हें मेडिकल नहीं मानकर कॉस्मेटिक्स ही माना जायेगा। अपीलार्थी का यह कथन महत्वपूर्ण एवं स्वीकार योग्य है कि प्रविष्टि संख्या 67 में कॉस्मेटिक आईटम को प्रविष्टि संख्या 43 में केवल इस आधार पर नहीं ले जाया जा सकता है कि उन पाउडर या प्रिकली हिट पाउडर या किसी क्रीम में कोई औषधीय गुण भी है। जैसे कोई क्रीम हल्दीयुक्त होने से उसे औषधि मानकर प्रविष्टि संख्या 43 की कम दर में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस तरह विधायिका द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जो वस्तुएं ड्रग लाईसेंस के तहत उत्पादित होकर ड्रग के रूप में बिक्रीत की जाती है वे प्रविष्टि संख्या 43 के तहत करदेय होगी लेकिन जो वस्तुएं मूल रूप से कॉस्मेटिक के रूप में काम में आती हैं और चाहे उनमें कुछ अवयव औषधीय सामग्री के भी सम्मिलित हो, परन्तु वे ड्रग लाईसेंस के तहत उत्पादित नहीं हैं तो वे प्रविष्टि संख्या 67 में ही सम्मिलित होकर 14 प्रतिशत से कर योग्य होगी। इस प्रकरण में दिनांक 27.11.2014 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 43 में यह संशोधन किये जाने से कि जो वस्तुएं अनुसूची-V की प्रविष्टि संख्या 67 में सम्मिलित हो रही हैं, उन्हें प्रविष्टि संख्या 43 से अपवर्जित रखा जायेगा, पर भी विचार करना आवश्यक है। प्रविष्टि 43 में निम्न प्रावधान दिनांक 27.11.2014 को किया गया है :-

S.No.	Description of Goods
43.	Drugs and medicines including vaccines, syringe and dressing medicated ointment produced under drugs licence, light liquid paraffin of IP grade excluding goods specified in entry No. 67

28. इस उल्लेख को जोड़ने का अभिप्राय यह है कि प्रविष्टि संख्या 67 में भी कोई उत्पाद, जो विशिष्ट तौर पर वहां अंकित किया जाये तो ऐसे उत्पादों को प्रविष्टि संख्या 43 में नहीं माना जायेगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि प्रविष्टि संख्या 67 में भी कोई भी आईटम, जो कि ड्रग लाईसेंस के होते हुए भी उनका नाम अंकित किया जाता है तो उस हालात में वे आईटम प्रविष्टि संख्या 43 से अलग माने जायेंगे, परन्तु

लगातार.....6

६

मुख्य बात यह है कि प्रविष्टि संख्या 67 में रखे गये आईटम में वे आईटम शामिल नहीं किये हैं, जो ड्रग लाईसेंस के तहत उत्पादित होते हैं। चूंकि अपीलार्थी के उत्पाद प्रविष्टि संख्या 67 के तहत अंकित किये हुए नहीं हैं क्योंकि वे आईटम ड्रग लाईसेंस के रूप में पूर्णतया ड्रग एवं मेडिसिन हैं, न कि कॉस्मेटिक। ऐसी स्थिति में दिनांक 27.11.2014 के पश्चात् भी अपीलार्थी के उत्पादों पर प्रविष्टि संख्या 67 का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रविष्टि संख्या 67 में ड्रग लाईसेंस के तहत उत्पादित ड्रग को अंकित ही नहीं किया गया है जबकि अपीलार्थी के उत्पाद ड्रग लाईसेंस के तहत ड्रग के रूप में ही उत्पादित एवं विक्रय किये गये हैं।

29. बहस के दौरान दिये गये यह तर्क भी आकर्षक हैं कि कॉस्मेटिक उत्पादों के रूप में उत्पादित होने वाली क्रीम मूल रूप से एक ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में काम में आती है एवं वे किसी व्यक्ति के सौन्दर्य प्रसाधन में प्रयुक्त होते हैं एवं ऐसे उत्पादों का किसी भी तरह से मेडिसिन के रूप में विक्रय नहीं किया जाता है। उनका यह कथन भी उचित है कि इन तीनों ही उत्पादों के लेबल पर कहीं भी सौन्दर्य प्रसाधन या सुंदरता बढ़ाने के लिये प्रयुक्त होने का अंकन किया हुआ नहीं है जबकि मार्केट में उपलब्ध कई तरह की कॉस्मेटिक क्रीम को सौन्दर्य बढ़ाने मात्र के लिये ही विज्ञापित कर उनका विक्रय किया जाता है एवं वे ड्रग लाईसेंस के तहत उत्पादित नहीं होते हैं।

30. तथ्यात्मक रूप से उक्त वर्णन के अलावा भी यह टिप्पणी की जाती है कि ऐसे समान विवादों पर उक्त कम्पनी के ही (पूर्व नाम हिमामी लिमिटेड) के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम को ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक लाईसेंस के अधीन ड्रग के रूप में उत्पादित होने से इसे कॉस्मेटिक नहीं मानने का निर्णय दिया गया था। इसी तरह माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 20.03.2015 को अपीलार्थी कम्पनी के मामले में (2015) 80 वी. एस.टी. 249 में यह निर्णीत किया गया है कि कम्पनी के उक्त उत्पाद ड्रग एण्ड मेडिसिन के रूप में ही मूल रूप से काम में आते हैं एवं इन्हीं उत्पादों को कोई अन्य रूप से कॉस्मेटिक के रूप में प्रयोग कर ले तब भी उनका मूल स्वरूप मेडिसिन एवं ड्रग के रूप में ही रहेगा। इस निर्णय में कॉस्मेटिक एवं मेडिकामेंट उत्पादों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 145 एस.टी.सी. 208 एवं 209 को उद्धरित करते हुए निम्न प्रकार अंकन किया है :-

"19. The word 'medicament' is not defined anywhere while the word 'cosmetic' is defined in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 as under :

॥

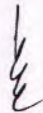
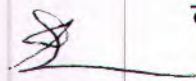
४

लगातार.....7

'3A. Cosmetic means any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on, or introduced into, or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance, and includes any article intended for use as a component of cosmetic.'

20. It will be seen from the above definition of 'cosmetic' that the cosmetic products are meant to improve appearance of a person, that is, they enhance beauty. Whereas a medicinal product or a medicament is meant to treat some medical condition. It may happen that while treating a particular medical problem, after the problem is cured, the appearance of the person concerned may improve. What is to be seen is the primary use of the product. To illustrate, a particular ayurvedic product may be used for treating baldness. Baldness is a medical problem. By use of the product if a person is able to grow hair on his head, his ailment of baldness is cured and the person's appearance may improve. The product used for the purpose cannot be described as cosmetic simply because it has ultimately led to improvement in appearance of the person. The primary role of the product was to grow hair on his head and cure his baldness."

33. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विभिन्न माननीय न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया हुआ है कि जब कोई विशिष्ट प्रविष्टि किसी विशिष्ट वस्तु के लिये दी जाती है तब उस प्रविष्टि को अवशिष्ट प्रविष्टि में नहीं रखा जा सकता। प्रविष्टि संख्या 43 जो कि वर्ष 2006 से ही कर अनुसूची-IV में सम्मिलित थी एवं दिनांक 14.7.2010 के पूर्व इस कर अनुसूची-V एक अवशिष्ट कर दर के रूप में रखी गयी है परन्तु कर दर के विवादों को समाप्त करने की अवधारणा के साथ अवशिष्ट कर दर की कर अनुसूची-V में दिनांक 14.7.2014 को बहुत सी वस्तुओं को अंकित कर दिया गया जिससे कि उन पर अवशिष्ट दर लागू होने का विवाद नहीं हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में भी ये वस्तुएं अनुसूची-V में ही सम्मिलित कर योग्य थी एवं उस समय में भी यह वस्तुएं अनुसूची-V में थी एवं जो वस्तुएं अनुसूची-IV में थी वे अनुसूची-IV के तहत ही कर योग्य थी एवं चूंकि प्रविष्टि संख्या 43 में कोई अन्तर दिनांक 14.7.2014 की अधिसूचना के तहत नहीं दिया गया है एवं विभाग द्वारा भी निरन्तर रूप से इसे अपीलार्थी के मामले में मेडिसिन एवं ड्रग माना गया है तब अन्य किसी स्थान पर उसको लाया जाना पूर्णतया विधि एवं न्याय के विरुद्ध है।"

लगातार.....8

8. कर बोर्ड के उक्त निर्णय में उक्तानुसार यह पूर्ण विवेचन के साथ निर्णीत किया जा चुका है कि ड्रग लाईसेंस के तहत उत्पादित एवं विक्रय की जाने वाली एंटीसेप्टिक क्रीम ड्रग होने से वे प्रविष्टि संख्या 67(i) व (ii) में सम्मिलित न होकर अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 43 से ही कर योग्य होगी। चूंकि इस प्रकरण में भी अपीलार्थी द्वारा बोरोप्लस की तरह ही बोरोलीन नाम से उत्पादित वस्तु ड्रग लाईसेंस के तहत बिक्री की जा सकती है, अतः हस्तगत प्रकरण में कर दर सम्बन्धी विवाद पूर्णतया समान होने से यह उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है, जिसके अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत एंटीसेप्टिक क्रीम वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तदनुसार कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को वेट अधिनियम की अनुसूची-V के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, अनुवर्ती ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार, अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

9. परिणामस्वरूप, कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय आदेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य